Annexure - R/ (26)

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
।। अधिसूचना ।।

अधिसूचना संख्या– यो0/स्था01/1–7/2009– 2903 /यो0वि0 तिथि– 18-09-2009

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय में भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली 2009

अध्याय –1
प्रारम्भिक

1: संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।–

(i) यह नियमावली "बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009" कही जा सकेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरत प्रवृत होगी ।

2: परिभाषाएँ ।–इस नियमावली में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल,

(ii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार,

(iii) "विभाग" से अभिप्रेत है योजना एवं विकास विभाग,

(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग,

(v) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सांख्यिकी सेवा,

(vi) "सदस्य" या "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार सांख्यिकी सेवा में नियुक्त व्यक्ति, तथा

(vii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।

3: सेवा की संरचना ।– (1)यह सेवा योजना एवं विकास विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगी। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का विवरण अनुसूची 1 के अनुसार निर्धारित रहेगा ।

(2) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को अनुसूची–1 में उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी स्वतः इस सेवा में शामिल समझे जायेगें ।

अध्याय –2
भर्त्ती

4. भर्त्ती का स्रोत ।–

(i) इस सेवा की मूल कोटि के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से भरी जायेगें ।

(ii) शेष 50 प्रतिशत पद सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी,जो सांख्यिकी/ गणित/अर्थशास्त्र में स्नातक की योग्यता धारित करते हो, से आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

5 सीधी भर्त्ती हेतु अर्हता ।--

(i) उम्मीदवार की आयु-- न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(ii) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता –
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य होगा ।

(iii) चयन का आधार - इस सेवा की मूल कोटि में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित लिखित प्रारम्भिक परीक्षा एवं आयोग द्वारा निर्धारित लिखित मुख्य परीक्षा एवं अंतर्वीक्षा में भाग लेना होगा ।

(iv) परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम - परीक्षाओं के लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगा । परन्तु मुख्य लिखित परीक्षा में एक विषय अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित अनिवार्य होगा ।

(v) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सफल उम्मीदवारों की मेघा सूची निर्धारित की जायेगी । उम्मीदवारों की सूची सूची प्राप्ति से एक वर्ष तक वैध मानी जायेगी ।

6. रिक्तियों का निर्धारण ।--

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रील को तक सेवा में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की अलग–अलग गणना करेगी और आयोग को 30 अप्रील तक अधियाचना भेज देगी ।

7. प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती हेतु आयोग द्वारा अनुशंसा– नियम–4 के खंड(ii) के अनुसार प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष / सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जा सकेगी ।

8. वरीयता ।– (i) नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गई कमानुसार मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा । सीधी नियुक्ति के मुकाबले प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों की आप्सी वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रंशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आधार पर किया जाऐगा।

(ii) मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त इस सेवा का कोई भी सदस्य उसी वर्ष सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से वरीय होगा भले ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो गयी हो।

9. परीक्ष्यमान अवधि / विभागीय परीक्षा / सम्पुष्टि । –

(i) नियुक्ति के बाद 2 वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि होगी । परीक्ष्यमान अवधि के संतोषजनक रूप में पूरा करने, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से अपेक्षित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सेवा सम्पुष्टि हो सकेगी ।

(ii) प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से परामर्श कर विभाग द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा ।

(iii) विभागीय परीक्षा रूल्स फॉर डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स,1961 के अनुसार केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा ली जायेगी ।

(iv) चार सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण हेतु पदाधिकारियों का मनोनयन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं संबंधित समाहर्त्ता प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

(v) परीक्ष्यमान अवधि के अंत में अथवा परीक्ष्यमान अवधि के दौरान यदि उम्मीदवार की सेवा असंतोषजनक पायी गयी तो संबंधित उम्मीदवारों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी । सीधे नियुक्त या प्रोन्नत उम्मीदवार पर भी यह नियम लागू होगें ।

अध्याय –3

प्रोन्नति

10. **प्रोन्नति** । –

(i) मूल कोटि से उच्चतर कोटि / कोटियों में प्रोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में आने के प्रयोजनार्थ कालावधि वही होगी जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाय ।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों / अनुदेशों के आलोक में किया जा सकेगा ।

(iii) उच्चतर कोटि में जो कर्मी पूर्व से नियुक्त हैं वे इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से संबंधित कोटि में प्रोन्नत माने जायेंगे।

अध्याय – 4

प्रकीर्ण

11. आरक्षण । – मूल कोटि में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति तथा उच्चतर कोटियों में प्रोन्नति में आरक्षण अधिनियम तथा उसके तहत निर्गत संकल्पों / अनुदेशों / रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा ।

12. वेतन । – विभिन्न कोटियों के पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय ।

163 (15) (23)

13. **प्रशिक्षण** । — इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य के बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा ।

14. इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्त्तें, यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली में उल्लिखित नहीं हैं, के संबंध में राज्य सरकार में इस प्रयोजनार्थ तत्समय लागू नियमावली / नियमावलियों के प्रावधानों से नियंत्रित होंगी ।

15. **निरसन एवं व्यावृति** । —

(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से सभी प्रासंगिक संकल्प / परिपत्र / निर्णय निरसित समझे जायेगें ।

(ii) इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इस सेवा के संबंध में लिये गये निर्णयों के संबंध में माना जायेगा कि सभी निर्णय इस नियमावली के अधीन लिये गये हैं ।

(iii) राज्य सरकार विभाग के माध्यम से इस नियमावली के किसी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति रखती है तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निर्देश / परिपत्र निर्गत कर सकती है और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
17/9/2009
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—यो0 / स्था01 / 1—7 / 2009— 2903 / यो0वि0 दिनांक 18 सितम्बर, 2009

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार,पटना
मुख्य सचिव, बिहार, पटना
विकास आयुक्त,बिहार,पटना
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना
सभी प्रधान सचिव / सचिव, बिहार, पटना
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार
सभी उप निदेशक, सांख्यिकी
सभी जिला सांख्यिकी / सहायक निदेशक
वरीय संयुक्त निदेशक,सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय
संयुक्त निदेशक(प्रशासन), सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/9/2009
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—यो0 / स्था01 / 1—7 / 2009— 2903 / यो0वि0 दिनांक 18 सितम्बर, 2009

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी में दो प्रतियों सी0डी0 के साथ राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

17/9/2009
प्रधान सचिव

अनुसूची – I
(नियम–3 दृष्टव्य)

सेवा की विभिन्न कोटि के पदों का विवरण –

कम संख्या	पद कोटि का स्तर	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	वर्तमान बल
1	मूल कोटि	सहायक निदेशक सांख्यिकी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	6500–10500	71
2	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	उप निदेशक सांख्यिकी	10000--15200	17
3	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	संयुक्त निदेशक सांख्यिकी	12000–16500	4
4	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	वरीय संयुक्त निदेशक सांख्यिकी	14300--18300	1